



कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)  
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड  
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC014882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in



क्र: मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/वे.पुन./4974

जबलपुर, दिनांक 29.12.2017

### आदेश

विषय: म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण।

संदर्भ : म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग का पत्र क्रमांक 6916/2017/तेरह दिनांक 31.10.2017।

म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 8-1/2016/नियम/चार, दिनांक 20 जुलाई, 2017 एवं तद्विषयक समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के माध्यम से राज्य शासन के सेवकों के वेतन पुनरीक्षण संबंधी "मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" जारी किये गये हैं।

म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 31.10.2017 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुरूप उक्त नियमों को अपने नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु यथावश्यक परिवर्तनों सहित उल्लेखित अधिसूचना में अंकित "म.प्र.शासन" के स्थान पर "कंपनी", "सिविल सेवा व सिविल पदों" के स्थान पर "कंपनी सेवा व कंपनी पदों", "शासकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों" के स्थान पर "कंपनी कार्मिक", "संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा" के स्थान पर "मुख्य वित्तीय अधिकारी", "कोषालय अधिकारी" के स्थान पर "क्षेत्रीय लेखाधिकारी", प्रतिस्थापित करते हुए ग्राह्य करता है।

उक्त "मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" पूर्ववर्ती म.प्र.राज्य विद्युत मंडल से अंतरित एवं आमेलित नियमित कार्मिकों हेतु दिनांक 01.01.2016 से लागू किये जाते हैं। इसी प्रकार कंपनी कैडर के नियमित कार्मिकों हेतु भी उक्त नियम अधिसूचना क्रमांक ED(HR&A)/MPPGCL/HCM/ 4082 दिनांक 11.09.2013 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 01.01.2016 से लागू किये जाते हैं।

ये नियम, इस आदेश के जारी होने की तिथि के उपरांत, भर्ती किये गये कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे।

वेतन पुनरीक्षण संबंधी विवरण, निर्देश एवं परिशिष्ट संलग्न हैं।

संलग्न : परिशिष्ट-एक : मैट्रिक्स  
परिशिष्ट-दो : विकल्प का प्रारूप  
परिशिष्ट-तीन : वेतन नियतन पत्रक  
परिशिष्ट-चार : वचनपत्र का प्रारूप  
परिशिष्ट-पांच : प्रतिभूति का प्रारूप

आदेशानुसार,

(ए.के. नेमा)

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)  
म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर

प्रतिलिपि :

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर ।
4. प्रबंध संचालक म.प्र.पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल ।
5. संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र. पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।
6. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
7. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर ।
8. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि. कं.लि. जबलपुर/भोपाल/ इंदौर।
9. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/  
(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/  
(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
10. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना / संगंताविगृह/  
अताविगृह/सताविगृह/, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. खण्डवा/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी ।
11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार) / (टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
12. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर ।
13. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
14. कार्यपालक सहायक संबद्ध अध्यक्ष, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल।
15. अधीक्षण अभियंता (सिविल) (सर्वे. एवं अनु. -जल विद्युत संधारण), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
16. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/तीन/चार,  
मडीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/ बरगीनगर/शिवपुरी/  
सिलपरा/देवलौंद/झिन्ना, ।
17. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स.ता.वि.गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., सारनी ।
18. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी  
ताप विद्युत परि./टीएचसी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर /बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर।
19. आदेश नस्ती ।

- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



(पी. के. श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव-दो

कार्या.मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

विषय: "मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी निर्देश ।

संदर्भ: वेतन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य शासन के आदेश दिनांक 20.07.2017, दिनांक 22.07.2017, दिनांक 26.10.2017 एवं अन्य में वर्णित महत्वपूर्ण अनुबंध/उपबंध ।

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 8-1/2016/नियम/चार, दिनांक 20.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त "मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017" को ग्राह्य करने के फलस्वरूप, कंपनी कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. कंपनी कार्मिकों के प्रवर्ग, जिनमें ये नियम (क) लागू होंगे / (ख) लागू नहीं होंगे :-

- (क) इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम कंपनी के कार्य कलाप से संबंधित नियमित सेवाओं और पदों पर नियुक्त कार्मिकों के लिये लागू होंगे ।
- (ख) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के कंपनी कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे :-
- उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवा योजन में नहीं हैं;
  - उन व्यक्तियों पर, जिसे मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है;
  - उन व्यक्तियों पर, जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं;
  - उन व्यक्तियों पर जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः कंपनी नौकरी में लगाये गये हैं;
  - राज्य शासन के आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आदेश क्रमांक का.नि. (मा. सं. एवं प्र.)/व.क.अ./ 4301-02 दिनांक 30.10.2017 द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को स्थायी किया गया ।

2. परिभाषाएं :- जब तक अन्यथा अपेक्षित न हों

- "विद्यमान मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो छठवें वेतनमान के अंतर्गत विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किया जाता है । इसमें वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत व्यक्तिगत वेतन भी सम्मिलित होगा परन्तु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ।
- "विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन" से आशय उस वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन से है जो कार्मिक द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो), पर लागू हो ।

स्पष्टीकरण - किसी कार्मिक के मामले में जो 01 जनवरी, 2016 को अवकाश पर था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन" में किसी पद के लिए वही वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन मान्य होगा जिसे उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, परन्तु उसके मूल संवर्ग/पद पर वापिस आने पर उसे मूल संवर्ग/पद के अनुसार ही वेतन प्राप्त होगा ।

- (iii) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है –  
 (i) वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत) का योग, (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि, का योग,
- (iv) "प्रकल्पित परिलब्धियों" से आशय है बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो) के योग का 2.57 गुना,
- (v) "वेतन मैट्रिक्स" से आशय है नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट-एक जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा निर्दिष्ट लम्बवत कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं,
- (vi) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से आशय है इन नियमों के परिशिष्ट-एक में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तदनुरूपी लेवल,
- (vii) "लेवल में वेतन" से आशय है परिशिष्ट-एक में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन,
- (viii) किसी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल से अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूप हो जब तक कि उसी पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।
- (ix) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से आशय है, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन,
- (x) "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से आशय है पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी कार्मिक के लेवल में वेतन, और
- (xi) "परिशिष्ट" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्टों से है।

### 3. पदों के लेवल –

संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तय किये गये हों।

### 4. संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण –

इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबंध के सिवाय कार्मिक उस पद जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है अथवा धारित कर रहा है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई कार्मिक मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक मौजूदा वेतन बैंड में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां कार्मिक को दिनांक 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, तो वह ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है।

- स्पष्टीकरण -(1) इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतन संरचना बहाल रखने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के मामले में स्वीकार होगा।
- स्पष्टीकरण -(2) ऊपर दिया गया विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह कंपनी सेवा में पहली बार आया हो।
- स्पष्टीकरण -(3) जहां कोई कार्मिक मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अंतर्गत मौजूदा वेतन संरचना को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूल वेतन होगा जो मौजूदा वेतन संरचना के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता या निलंबित न किये जाने तक धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की तरह वह अर्जित करता। मूल संवर्ग/पद पर वापिस आने पर नियम 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।

## 5. विकल्प का चयन

- (1) नियम 4 के परन्तुक के अन्तर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस प्रपत्र पर देना होगा जो परिशिष्ट-दो पर संलग्न है और यह विकल्प इस नियम के उपनियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के 3 माह के अन्दर पहुँच जाने चाहिये अथवा जहाँ वर्तमान संरचना निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहाँ इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के 3 माह बाद तक पहुँचना मान्य होगा।  
बशर्ते कि-
- (i) उस मामले में जब कंपनी कार्मिक इस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा सक्रिय सेवा में राज्य से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के राज्य में आने और यहाँ का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अन्दर लिखित रूप में पहुँच जाए, तथा
- (ii) जहाँ कोई कंपनी कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निलंबित हो तथा उसके काम पर लौटने की तारीख इस नियम के प्रकाशित होने के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने की तीन महीने के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है।
- (iii) जहाँ कोई कंपनी कार्मिक, भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2016 अथवा पूर्व से पदोन्नत होता है तो वह ऐसे आदेश के जारी होने के तीन महीने के अन्दर विकल्प दे सकेगा।
- (iv) वे कंपनी कार्मिक, जो 01 जनवरी, 2016 के पश्चात और इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र होंगे।
- (2) कंपनी कार्मिक द्वारा विकल्प निर्धारित प्रारूप में कार्यालय प्रमुख को दिया जायेगा।
- (3) अगर कंपनी कार्मिक का लिखित विकल्प उपनियम (1) के अनुसार निर्धारित तारीख के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नये संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा।
- (4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

नोट-1: जिन लोगों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिये जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा अनुशासनहीनता के आधार पर सेवामुक्ति के कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी उप नियम-1 के अन्तर्गत विकल्प चयन का अधिकार होगा।

नोट-2: जो लोग दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढांचे के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके थे, उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों के लिये लाभप्रद लगे, उन्होंने नये वेतन संरचना का चयन कर लिया है तथा इस प्रकार किये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

नोट-3: ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01.01.2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, या ऐसी अवधि जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर हैं, इस नियम के लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

#### 6. संशोधित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण -

(1) किसी कंपनी कार्मिक जिसने दिनांक 01 जनवरी 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के लिए नियम 5 के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद -जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या निलंबित होने की स्थिति में यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि कंपनी के विशेष नियम या निर्देश ना हों, उसका आरम्भिक वेतन अलग से निर्धारित किया जायेगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जायेगा, अर्थात्

(i) वेतन मैट्रिक्स (परिशिष्ट-एक) में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा, जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन (नियम 2 (iii) (i) के अनुसार) को गुणा करके निकटतम रूपये तक का पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जायेगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनु रूप कोई समरूप राशि है, तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उसके ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

उदाहरण :-

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
		ग्रेड वेतन	1900	2000	2300	2500
2. विद्यमान ग्रेड वेतन: 2500						
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 12090	लेवल → कोष्ठिका↓	1	2	3	4	5
4. विद्यमान मूल वेतन: 14590 (12090+2500)	1	20200	20800	21900	23200	26600
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात वेतन :	2	20800	21400	22600	23900	27400
	3	21400	22000	23300	24600	28200

6. ग्रेड वेतन 2500 का तदनुसूची लेवल: लेवल 4 7. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 37496 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 38400	4	22000	22700	24000	25300	29000
	5	22700	23400	24700	26100	29900
	6	23400	24100	25400	26900	30800
	7	24100	24800	26200	27700	31700
	8	24800	25500	27000	28500	32700
	9	25500	26300	27800	29400	33700
	10	26300	27100	28600	30300	34700
	11	27100	27900	29500	31200	35700
	12	27900	28700	30400	32100	36800
	13	28700	29600	31300	33100	37900
	14	29600	30500	32200	34100	39000
	15	30500	31400	33200	35100	40200
	16	31400	32300	34200	36200	41400
	17	32300	33300	35200	37300	42600
	18	33300	34300	36300	38400	43900
	19	34300	35300	37400	39600	45200
	20	35300	36400	38500	40800	46600

- (ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन का प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप खंड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उक्त प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा।
- (2) निलंबित कंपनी कार्मिक मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिये जाने के अध्याधीन, निलंबन से बहाली की दिनांक को नियत किया जा सकेगा।
- (3) जब कोई कंपनी कार्मिक किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निधारण इस उपनियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थाई वेतन माना जायेगा।
- (4) यदि किसी कंपनी कार्मिक की मौजूदा परिलब्धियों "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अन्तर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में इसे समाहित किया जायेगा।
- (5) यदि कोई कार्मिक मौजूदा वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2016 के तुरंत पहले समान केडर के किसी कनिष्ठ कार्मिक की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कार्मिक हो।
- (6) जहाँ कोई कंपनी कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती हैं, तो उस अन्तर को उस कंपनी कार्मिक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जावेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा।

- (7) ऐसे मामलों में जहाँ किसी वरिष्ठ कंपनी कार्मिक की दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पहले लागू वेतन बैंड में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कंपनी कार्मिक से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है, तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कंपनी कार्मिक का वेतन उसके कनिष्ठ कंपनी कार्मिक का उच्च पद पर दिये जा रहे वेतन संरचना में वेतन के बराबर कर दिया जाये। यह वृद्धि कनिष्ठ कंपनी कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से की जायेगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात्
- (क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कंपनी कार्मिक का एक ही केडर का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह केडर में समान पद होने चाहिये।
- (ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतन संरचना जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, समान होने चाहिये।
- (ग) वरिष्ठ कंपनी कार्मिक पदोन्नति के समय कनिष्ठ कंपनी कार्मिक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिये। यदि कनिष्ठ पद पर कोई भी कनिष्ठ कंपनी कार्मिक संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ कंपनी कार्मिक की तुलना में अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस उपनियम के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।
- (8) नियम 4 के प्रावधानों के अधीन उपनियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन स्थायी पद में नियत किये गये वेतन से कम है तो वेतन स्थायी वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जायेगा।

7. दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कंपनी कार्मिकों के वेतन का निर्धारण - दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कंपनी कार्मिक का वेतन उस पद पर जिस पर कंपनी कार्मिक नियुक्त किये जाते हैं, के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा।

बशर्ते कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जायेगा और वेतन में होने वाली भावी बढोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा।



8. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि - वेतन वृद्धि वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत कोष्ठिकाओं में यथा विनिर्दिष्ट रूप में दी जावेगी।

लेवल 4 में 38400 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा कंपनी कार्मिक उसी लेवल में लंबवत नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिये जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 39600 हो जाएगा।	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1900	2000	2300	2500	2900
	लेवल → कोष्ठिका↓	1	2	3	4	5
	1	20200	20800	21900	23200	26600
	2	20800	21400	22600	23900	27400
	3	21400	22000	23300	24600	28200
	4	22000	22700	24000	25300	29000
	5	22700	23400	24700	26100	29900
	6	23400	24100	25400	26900	30800
	7	24100	24800	26200	27700	31700
	8	24800	25500	27000	28500	32700
	9	25500	26300	27800	29400	33700
	10	26300	27100	28600	30300	34700
	11	27100	27900	29500	31200	35700
	12	27900	28700	30400	32100	36800
	13	28700	29600	31300	33100	37900
	14	29600	30500	32200	34100	39000
	15	30500	31400	33200	35100	40200
	16	31400	32300	34200	36200	41400
	17	32300	33300	35200	37300	42600
18	33300	34300	36300	<b>38400</b>	43900	
19	34300	35300	37400	<b>39600</b>	45200	
20	35300	36400	38500	40800	46600	

9. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख -

- (i) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई।

बशर्ते कि कोई कंपनी कार्मिक अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (ii) ऐसा कंपनी कार्मिक जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

परन्तु यदि पदोन्नति, नियुक्ति या उन्नयन की तारीख यदि 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई हो तथा इस तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसके अंतर्गत कार्य दिवस को कार्य भार करता है तो ऐसे प्रकरणों में यह मानते हुए कि उसने उस माह की पहली तारीख को कार्यभार ग्रहण किया आगामी वेतन वृद्धि विनिश्चित की जायेगी।

परन्तु यदि 01 जनवरी या 01 जुलाई को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने की स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि की तिथि वेतन निर्धारण की तिथि के एक वर्ष पश्चात अर्थात् आगामी वर्ष के 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई जैसी भी स्थिति हो नियत की जायेगी।

उदाहरण :

- (क) ऐसे कंपनी कार्मिक जिसे 02 जुलाई 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन दिया है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।
- (ख) ऐसे कंपनी कार्मिक जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत उन्नयन दिया गया हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

बशर्ते कि ऐसे कंपनी कार्मिकों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2016 को प्राप्य होगी।

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

10. 01 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन संरचनाओं में वेतन का निर्धारण – जहां कोई कंपनी कार्मिक मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निर्धारण कंडिका 6 के अनुसार किया जायेगा।
11. दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व धारित किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात पुनः नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण – कोई कंपनी कार्मिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करता है, उसे मूलभूत नियम 22 उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जायेगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण किया होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता।
12. दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात पदोन्नति /समयमान पर वेतन का निर्धारण संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति/समयमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा

- (i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से कंपनी कार्मिक पदोन्नत/समयमान किया जा रहा है और उसें उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण: -

	वेतन बैंड	5200-20200				
	ग्रेड वेतन	1900	2000	2300	2500	2900
लेवल →	कोष्ठिका ↓	1	2	3	4	5
1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल 4						
2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 26900	1	20200	20800	21900	23200	26600
3. पदोन्नति/समयमान वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में	2	20800	21400	22600	23900	27400
4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात वेतन : 27700	3	21400	22000	23300	24600	<b>28200</b>
5. उक्त लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन: 28200 (लेवल 5 में 27700 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)	4	22000	22700	24000	25300	29000
	5	22700	23400	24700	26100	29900
	6	23400	24100	25400	<b>26900</b>	30800
	7	24100	24800	26200	<b>27700</b>	31700
	8	24800	25500	27000	28500	32700
	9	25500	26300	27800	29400	33700
	10	26300	27100	28600	30300	34700

13. वेतन बकायों के भुगतान की विधि – इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की बकाया एरियर्स की राशि, कार्मिकों एवं पेंशनरों को 36 किशतों में आगामी माह जनवरी 2018 से दी जायेगी। तदपि कंपनी कार्मिक की सेवा सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक 1.1.2016 से इस आदेश के जारी होने की तिथि के मध्य होने की स्थिति में, उन्हें वेतन के शेष रहे एरियर्स का भुगतान सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को एक सुस्त नगद रूप में कंपनी कार्मिक अथवा परिवार (जैसी भी स्थिति हो) को किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन हेतु किसी कंपनी कार्मिक के संबंध में “बकाया वेतन” से अभिप्रेत है निम्न का अन्तर :-

- (एक) इन नियमों के अंतर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि हेतु वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है, तथा  
(दो) उस अवधि में वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं मंहगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन तथा भत्ते का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता।

14. म.प्र.शासन, वित्त विभाग ज्ञाप क्रमांक एफ 9-13/17/नियम/चार दिनांक 26.10.2017 के अनुसार दिनांक 1.1.2016 को अथवा पश्चात सेवानिवृत्त /दिवंगत कार्मिकों के पेंशन/परिवार पेंशन का

पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जायेगा :-

- क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सारांशीकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में (पूर्व में भुगतान राशि समायोजित करते हुए) किया जाये।
- ख. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।
- ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/- (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) की जाती है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा कंपनी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत की जाती है।

राज्य शासन द्वारा उक्त उप-पैरा (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में किये जाने वाले संशोधनों को ग्राह्य किया जायेगा।

15. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के लिये पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुये किया जायेगा।

पेंशन/परिवार पेंशन देय राशि की गणना में महंगाई राहत की गणना निम्नानुसार होगी :-

दिनांक	मंहगाई राहत
01.01.2016 से	शून्य प्रतिशत
01.07.2016 से	2 प्रतिशत
01.01.2017 से	4 प्रतिशत

16. यात्रा भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, परियोजना भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, अव्यवसायिक भत्ता (NPA) तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा तथा अन्य सुविधायें जो मूल वेतन से जुड़ी हुई थीं, पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होंगी।
17. म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8/2017/नियम/चार दिनांक 27 जुलाई 2017 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-4-1/2017/नियम/चार दिनांक 30.11.2017 के अनुसार महंगाई भत्ते की दर स्वीकृत सातवें वेतनमान में निम्नानुसार देय होगी :-

अवधि	दर (प्रतिशत में)
जनवरी 2016 से जून 2016	शून्य
जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016	दो
जनवरी 2017 से जून 2017	चार
जुलाई 2017 से	पांच

18. आदेश दिनांक 22 जुलाई 2017 द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश

- (i) प्रारंभिक वेतन का नियतन "मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017" के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त नियम के परिशिष्ट-एक में विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में निर्धारित कोष्ठिका में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जायेगा तथा प्रत्येक वेतन नियतन प्रकरण/पत्रक की जांच मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय द्वारा की जायेगी एतद् अनुमोदित वेतन नियतन पत्रक संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से लगाया जायेगा।
- (ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के पश्चात् मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी कार्मिक हेतु वेतन वृद्धि तिथियां 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।
- (iii) पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर आहरित वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम 11(1)(ब) के प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों के 12 प्रतिशत की दर से सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जायेगी। उक्त नियम के लिये "परिलब्धियों" का आशय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन होगा। अवशेष वेतन देयक से नियमानुसार आयकर की राशि की कटौती भी अनिवार्यतः की जाये।
- (iv) ऐसे कंपनी सेवक जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य हैं, के मामले में योजना में अंशदान हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की कटौती की गणना पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन तथा उस पर महंगाई भत्ता पर की जायेगी।
- (v) प्रत्येक वेतन नियतन प्रकरण की जांच मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है तथा अनुमोदित वेतन नियतन पत्रक संबंधित कंपनी कार्मिक की सेवा पुस्तिका के साथ चिपकाया जायेगा।
- (vi) त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन के कारण अधिक भुगतान वसूलनीय होगा। अतः कार्यालय प्रमुख सभी कंपनी कार्मिकों को स्पष्ट कर दें कि पुनरीक्षित वेतनमान में नियत वेतन, अंतिम नहीं है और मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई जांच के प्रकाश में बदलने की संभावना है। अतः यदि कोई अधिक भुगतान होता है तो वह कंपनी कार्मिक को पश्चातवर्ती भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि से वसूला जायेगा। इस आशय का लिखित वचन पत्र (undertaking) प्रत्येक कंपनी कार्मिक से अवशेष राशि के भुगतान करने के पूर्व प्राप्त होने पर ही अवशेष राशि का भुगतान किया जाये। वचन पत्र (undertaking) का प्रारूप परिशिष्ट-चार में संलग्न है।
- (vii) यदि त्रुटिपूर्ण वेतन नियतन, कार्यालय प्रमुख/ मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय की गलती से हुआ है तो अधिक भुगतान संबंधित से वसूला जायेगा। ऐसी स्थिति में कार्यालय प्रमुख/ मुख्य वित्तीय अधिकारी से भी अधिक भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि दण्ड स्वरूप वसूली जायेगी।
- (viii) सातवें वेतनमान में वेतन आहरण के पूर्व कार्यालय प्रमुख / मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय का यह दायित्व होगा कि वह कार्मिक द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन करें।
- (ix) ऐसे अस्थायी कंपनी कार्मिक जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से कम हो, से परिशिष्ट-चार के अनुसार वचन पत्र (undertaking) के अतिरिक्त दो स्थाई कंपनी कार्मिकों की, जो आगामी एक वर्ष के पूर्व सेवानिवृत्त न हो रहे हों, प्रतिभूति (Surety) परिशिष्ट-पांच में प्राप्त की जाये। यदि यह संभव न हो तो संबंधित कंपनी कार्मिक उन अस्थायी कंपनी कार्मिकों की प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकता है जो अर्द्धस्थायी हों अथवा जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की सेवा

पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी आगामी एक वर्ष तक सेवा में बने रहने की संभावना हो। निर्धारित प्रपत्र में वचन पत्र (undertaking) एवं प्रतिभूति सेवापुस्तिका में साथ रखें जायें।

19. नियमों का अध्यारोही प्रभाव - उन मामलों में जहां वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हो।
20. शिथिल करने की शक्ति -कंपनी, कंपनी कार्मिकों के या कंपनी कार्मिकों के प्रवर्ग के मामले में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।  
परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन जो यथा स्थिति किसी कंपनी कार्मिक या कंपनी कार्मिक के किसी प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।
21. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह म.प्र.पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के मानव संसाधन एवं प्रशासन कार्यालय को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
22. यह नियम, इस आदेश के जारी होने की तिथि के पश्चात भर्ती होने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे।

आदेशानुसार,



(ए.के. नेमा)

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)  
म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., जबलपुर



M.P. Power Generating Company Limited  
Pay Matrix

परिशिष्ट-एक

Level	5200-20200 PB-I					9300-34800 PB-II			15600-39100 PB-III			37400-67000 PB-IV			
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	O1	O2	O3*	O3	O4	O5	O6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*	11	12	13	14
Current Entry Pay	7860	8100	8540	9010	10340	13290	13960	15380	21000	26790	30300	45000	46100	48590	58870
Grade pay	1900	2000	2300	2500	2900	3800	4100	4400	5400	6600	7600	7600	8700	8900	10000
Rationalised	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72
New Entry Pay	20200	20800	21900	23200	26600	34800	36600	40300	56100	71500	80900	120200	123100	129700	160100
1	20800	21400	22600	23900	27400	35800	37700	41500	57800	73600	83300	123800	126800	133600	164900
2	21400	22000	23300	24600	28200	36900	38800	42700	59500	75800	85800	127500	130600	137600	169800
3	22000	22700	24000	25300	29000	38000	40000	44000	61300	78100	88400	131300	134500	141700	174900
4	22700	23400	24700	26100	29900	39100	41200	45300	63100	80400	91100	135200	138500	146000	180100
5	23400	24100	25400	26900	30800	40300	42400	46700	65000	82800	93800	139300	142700	150400	185500
6	24100	24800	26200	27700	31700	41500	43700	48100	67000	85300	96600	143500	147000	154900	191100
7	24800	25500	27000	28500	32700	42700	45000	49500	69000	87900	99500	147800	151400	159500	196800
8	25500	26300	27800	29400	33700	44000	46400	51000	71100	90500	102500	152200	155900	164300	202700
9	26300	27100	28600	30300	34700	45300	47800	52500	73200	93200	105600	156800	160600	169200	208800
10	27100	27900	29500	31200	35700	46700	49200	54100	75400	96000	108800	161500	165400	174300	214700
11	27900	28700	30400	32100	36800	48100	50700	55700	77700	98900	112100	166300	170400	179500	
12	28700	29600	31300	33100	37900	49500	52200	57400	80000	101900	115500	171300	175500	184900	
13	29600	30500	32200	34100	39000	51000	53800	59100	82400	105000	119000	176400	180800	190400	
14	30500	31400	33200	35100	40200	52500	55400	60900	84900	108200	122600	181700	186200	196100	
15	31400	32300	34200	36200	41400	54100	57100	62700	87400	111400	126300	187200	191800	202000	
16	32300	33300	35200	37300	42600	55700	58800	64600	90000	114700	130100	192800	197600	208100	
17	33300	34300	36300	38400	43900	57400	60600	66500	92700	118100	134000	198600	203500	214300	
18	34300	35300	37400	39600	45200	59100	62400	68500	95500	121600	138000	204600	209600		
19	35300	36400	38500	40800	46600	60900	64300	70600	98400	125200	142100	210700	215900		
20	36400	37500	39700	42000	48000	62700	66200	72700	101400	129000	146400	211700			
21	37500	38600	40900	43300	49400	64600	68200	74900	104400	132900	150800				
22	38600	39800	42100	44600	50900	66500	70200	77100	107500	136900	155300				
23	39800	41000	43400	45900	52400	68500	72300	79400	110700	141000	160000				
24	41000	42200	44700	47300	54000	70600	74500	81800	114000	145200	164800				
25	42200	43500	46000	48700	55600	72700	76700	84300	117400	149600	169700				
26	43500	44800	47400	50200	57300	74900	79000	86800	120900	154100	174800				
27	44800	46100	48800	51700	59000	77100	81400	89400	124500	158700	180000				
28	46100	47500	50300	53300	60800	79400	83800	92100	128200	163500	185400				
29	47500	48900	51800	54900	62600	81800	86300	94900	132000	168400	191000				
30	48900	50400	53400	56500	64500	84300	88900	97700	136000	173500	196700				
31	50400	51900	55000	58200	66400	86800	91600	100600	140100	178700	202600				
32	51900	53500	56700	59900	68400	89400	94300	103600	144300	184100	208700				
33	53500	55100	58400	61700	70500	92100	97100	106700	148600	189600					
34	55100	56800	60200	63600	72600	94900	100000	109900	153100	195300					
35	56800	58500	62000	65500	74800	97700	103000	113200	157700	201200					
36	58500	60300	63900	67500	77000	100600	106100	116600	162400	206900					
37	60300	62100	65800	69500	79300	103600	109300	120100	167300						
38	62000	64000	67800	71600	81700	106700	112600	123700	172300						
39	65900	69800	73700	77700	84200	109900	116000	127400	177500						
40															
MAXIMUM GoMP	62000	-	-	-	-	-	-	-	177500	206900	211700	211700	215900	214300	214700
MAXIMUM	62000	65900	69800	73700	84200	109900	116000	127400	177500	206900	208700	211700	215900	214300	214700

\*Read with Order No. ED(HR&A)/MPPGCL/HCM/4082 dtd. 11.09.2013

परिशिष्ट-दो

विकल्प का प्रारूप  
(नियम 5 देखें)

\* (i) मैं ..... दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ।  
अथवा

\* (ii) मैं ..... अपने मूल/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता हूँ / करती हूँ जब तक कि :-

\* मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक, या

\* मेरी बाद की वेतन वृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन ..... रूपये हो जाए, या

\* मैं मौजूदा वेतन बैंड में वेतन लेना बंद कर दूँ/छोड़ दूँ या

\* ..... के पद पर मेरा पदोन्नति/उन्नयन को तारीख तक बने रहने तक।  
विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन .....

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

कार्यरत कार्यालय का नाम .....

\* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक .....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित





परिशिष्ट-तीन

म.प्र.पाँवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड  
मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन नियतन पत्रक

1. कंपनी कार्मिक का नाम : \_\_\_\_\_
2. पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया जाना है: \_\_\_\_\_
3. स्थायी / स्थानापन्न : \_\_\_\_\_
4. नियम 5 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार  
पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन का  
दिनांक \_\_\_\_\_
5. विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन \_\_\_\_\_
6. विद्यमान मूल वेतन (ग्रेड वेतन जोड़कर) \_\_\_\_\_
7. विद्यमान परिलब्धियां :-  
(अ) मूल वेतन (ग्रेड वेतन जोड़कर) \_\_\_\_\_  
(ब) मूल वेतन पर दिनांक 1-1-2016 से  
लागू मंहगाई भत्ता \_\_\_\_\_  
(अ + ब) \_\_\_\_\_
8. अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन  
के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट  
लेवल \_\_\_\_\_
9. अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से  
गुणा करने पर प्राप्त राशि (निकटतम रूपये में  
पूर्णांकित) \_\_\_\_\_



10. प्रयोज्य लेवल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे ठीक उच्चतर कोष्टिका की राशि -----
11. पुनरीक्षित मूल वेतन (अनुक्रमांक 10 के अनुरूप) -----
12. नियम 6(5) एवं 6(7) के अंतर्गत कनिष्ठ कार्मिक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम एवं वेतन अंकित किया जाए) ----- (यदि लागू हो तो)
13. नियम 6(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन से स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन ----- (यदि लागू हो तो)
14. वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियां -----  
(अ) मूल वेतन  
(ब) व्यक्तिगत वेतन यदि पात्रता हो योग  
(अ + ब)
15. आगामी वेतन वृद्धि की तिथि -----
16. आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन -----
17. अन्य जानकारी -----

स्थान -----

दिनांक -----

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं सील



परिशिष्ट-चारवचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं कंपनी को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, कंपनी के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा / करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वत्वों से जिनमें – पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता/रहती हूँ, तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता/करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए।

साक्षी	हस्ताक्षर कंपनी कार्मिक
हस्ताक्षर	पदनाम
पता -	स्थान
दिनांक	दिनांक



परिशिष्ट-पांच

प्रतिभूति का प्रारूप

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पदनाम .....  
 कार्यालय ..... को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम,  
 2017 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन नियतन होने के कारण दिनांक ..... से दिनांक  
 ..... तक रू. .... (शब्दों में) रू. .... की अवशेष  
 राशि (एरियर) का भुगतान किया जा रहा है।

हम श्री/श्रीमती/कुमारी ..... एवं  
 श्री/श्रीमती/कुमारी ..... कार्यालय .....  
 की स्थापना के स्थाई कार्मिक हैं तथा क्रमशः वेतन राशि रू. .... (शब्दों में)  
 ..... प्रतिमाह आहरण करते हुए श्री/श्रीमती/कुमारी  
 ..... को प्रतिभू होने के लिए यह सहमति प्रदान करते हैं कि यदि  
 श्री/श्रीमती/कुमारी .....को उपरोक्तानुसार एरियर्स का  
 भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि कंपनी के नियम के अनुरूप अधिक भुगतान होना पाया जाता है, एवं  
 उक्त कार्मिक अधिक भुगतान की गई राशि को लौटाने में असमर्थ है तो हम उसका भुगतान करेंगे और हम  
 स्वयं को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के भुगतान हेतु  
 आवद्ध करते हैं। हम यह भी सहमति देते हैं कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग-  
 अलग भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए।

आज दिनांक ..... माह ..... सन् 201.. को हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षी  
 हस्ताक्षर

1. -----  
 नाम  
 पदनाम

1. प्रतिभू के हस्ताक्षर  
 नाम व पदनाम

साक्षी  
 हस्ताक्षर

2. -----  
 नाम  
 पदनाम

2. प्रतिभू के हस्ताक्षर  
 नाम व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षरित

नाम -----

(कार्यालय प्रमुख)  
 (X) जो लागू न हो उसे काट दीजिए